भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशनार्थ

(भाग–I, खण्ड–I)
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली–110011

सार्वजनिक सूचना सं0 06/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांक 16 अप्रैल, 2015

विषयः– आवेदन शुल्क/दंड/कोई अन्य शुल्क के लिए डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार करने की सुविधा बहाल करना।

विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैराग्राफ 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्द्वारा परिशिष्ट एवं आयात–निर्यात प्रपत्र 2015–20 के परिशिष्ट–2ट (आवेदन शुल्क का परिमाण तथा आवेदन शुल्क/दंड आदि जमा/वापस करने के लिए प्रपत्र) में संशोधन करके आवेदन शुल्क जमा करने की प्रणाली में संशोधन करते हैं:

2. तदनुसार, संशोधन के पश्चात परिशिष्ट–2ट के पैरा 2 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

"2 आवेदन शुल्क/दंड/कोई अन्य शुल्क जमा करने की प्रणाली

आवेदन शुल्क/दंड/कोई अन्य शुल्क निम्नलिखित तरीके से जमा किया जाएगाः

(1) विदेश व्यापार महानिदेशालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अथवा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया की किसी प्राधिकृत शाखा में राजकोष रसीद चालान (टीआर) के लिए नकद अथवा चेक जमा करके जिसमें "लेखाशीर्ष– 1453–विदेश व्यापार एवं निर्यात संवर्धन–लघु शीर्ष 102–आयात लाइसेंस आवेदन शुल्क" का उल्लेख हो। बैंक रसीद में विभाग अर्थात "विदेश व्यापार महानिदेशालय" का नाम होना चाहिए। बैंक रसीद वेतन एवं लेखा अधिकारी (विदेश व्यापार) के पक्ष में आहरित होनी चाहिए जिसमें संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारी के कार्यालय स्थान का उल्लेख हो। यह शुल्क विदेश में भारतीय मिशन में भी जमा किया जा सकता है। शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आवेदक आवेदन के साथ अनुलग्नक के अनुसार बैंक रसीद की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करेगा।"

3. <u>सार्वजनिक सूचना का प्रभावः</u> परिशिष्ट एवं आयात–निर्यात प्रपत्र 2015–20 के परिशिष्ट–2ट में समुचित संशोधन करके डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा आवेदन शुल्क/दंड/कोई अन्य शुल्क के भुगतान की सुविधा बहाल की जा रही है।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

[फा0 सं0 01/93/180/02/एएम16/पीसी–2(बी)]